न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री परमजीत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 64/2022

उनवान

श्रीमती गंगा व अन्य बनाम श्री मोगा व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी.

—::निर्णय::—

दिनांकः— 11/06/2025

उपस्थितिः श्री परमानन्द मेहता अधिवक्ता—प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1
श्री सुरेश पुरी अधिवक्ता—वादीगण
श्री गोपाल चौबिसा अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4

प्रतिवादी सं. 1/प्रार्थी मोगा पिता कचरा डांगी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दि. का पेश कर अंकित किया कि

1. वादीगण की और से उक्त अनवान का एक वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिसमे प्रार्थी को प्रतिवादी संख्या 1 बना रखा है। मामले मे वादग्रस्त भूमि के साबिक आराजी नम्बर 489 रकबा 10 बीघा जिसके पेमाईश के बाद के आराजी नम्बर 25 अंकित हो रकबा 2.10 हैक्टेयर है। मौजा भीमपुर बरबडी मे साबिक आराजी नम्बर 489 मीन रकबा 39 बीघा 11 बीस्वा भूमि राजकीय भूमि बिलानाम अंकित थी जो संवत् 2023 से 2026 की जमाबंदी मे अंकित है, उक्त आराजी के कुल रकबे मे से 10 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मोगा के पिता कचरा पिता गोवना डांगी को आवंटित होकर दिनांक 09/04/1962 को नामांन्तकरण संख्यां 45 से गैर खातेदारी अंकित हुई तदश्चात् भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 के पिता कचरा व स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 ने इस भूमि का विकास किया व खातेदारी अधिकार प्राप्त हुऐ उसके बाद गत पैमाईश मे उक्त आराजी के नये आराजी नम्बर 25 रकबा 2.10 हैक्टर अंकित होकर प्रतिवादी संख्या 1 मोगा पिता कचरा के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होकर भूमि पर एकमात्र प्रतिवादी संख्या 1 मोगा का कब्जा काश्त है तथा इसी आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 ने चार कमरे व बरामदो का एक मंजीला मकान बनाया तथा आरसीसी भी उपर डाल करके ग्राउण्ड फ्लोर का काम किया है जिसमे प्लास्तर तथा किंवाड आदि के काम बाकी है, यह काम प्रतिवादी संख्या 1 ने सन् 2021—22 में करवाया है, काम लगभग 1 वर्ष तक चला था तब तक वादीगण ने कोई दावा नही किया था किन्तु किसी अन्य लोगो के सिखाने में आकर दिनांक 17/08/2022 को दावा प्रस्तुत किया है। वादी के लिए दिनांक 02/08/2022 अथवा किसी भी दिन कोई वाद कारण पैदा नही होता है।
2. वादी ने अपने दावें से सजरा खानदान प्रस्तुत किया है किन्तु भूमि गोवनाजी मुल पुरुष के नाम पर कभी भी खातेदारी हक से दर्ज हुइ ना हि गोवनाजी का उस पर कब्जा काश्त था भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मोगा के पिता कचरा के नाम पर गैर खातेदारी हक से आवंटित होकर खातेदारी हक प्राप्त हुए तथा तपश्चात् गत पैमाईश में उसके उक्त नम्बर अंकित हुए है भूमि राजस्व रेकॉर्ड मे एकमात्र प्रतिवादी संख्या 1 के पिता तथा उसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर खातेदारी दर्ज है तथा उस पर आजतक प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त है किन्तु वादी ने अपनी कलम संख्या 8 मे यह अंकित किया है कि नकले लेने से देखा तो प्रतिवादी संख्या 1 मोगा ने अपने नाम से पुरी जमीन आवंटन करवा दी है जो कि एकदम गलत व मिथ्या अंकित किया है

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

क्योंकि मोगा के नाम पर आंवटित ही नही हुई थी आवंटन प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम पर आवंटित हुई थी।

3. कि विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी एक व्यक्ति के नाम पर आवंटित भूमि मे उसके भाईयो का हक स्थापित नही हो सकता है तथा वे इस प्रकार के हक के लिऐ कोई घोषणा नही करा सकते है और ऐसी कोई सहायता उन्हें प्राप्त नही होती है।
4. कि जब वादीगण का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार आधिपत्य ही नही है व राजस्व रेकॉर्ड का कोई दस्तावेज उनके पक्ष का नहीं है ऐसी स्थिति मे उनके लिए यह वाद लाये जाने का कोई वाद कारंण उत्पन्न नही होता है इसलिए यह वादपत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 व्य.प्र. संहिता के तहत खारीज कर दिये जाने योग्य है।
5. कि विधि का यह सुस्थापित कानुन है कि जहां कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता हो ऐसे मामले मे साक्ष्य ईत्यादी की लम्बी श्रंखला से किसी भी हकदार व्यक्ति को परेशान नही किया जाना चाहिऐ तथा ऐसे मामले मे सर्वप्रथम आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 व्य.प्र.संहिता के प्रार्थना पत्र का निर्धारण किया जाना चाहिऐ।
6. कि आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 व्य.प्र. संहिता का प्रार्थना पत्र वादपत्र के किसी भी स्टेज पर प्रस्तुत किया जा सकता है व उसके प्रस्तुत होने की स्थिति मे पहले उसका निर्धारण किया जाना विधि के अनुरूप है।
7. अतएव प्रार्थना की जाती है कि, वादीगण का वादपत्र कोई वादकारण उत्पन्न नही होने की वजह से आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 व्य.प्र. संहिता के तहत खारीज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी मोगा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. की प्रति अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 को दिलाई गई। अधिवक्ता वादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. का जवाब पेश किया जिसे अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 ने उक्त प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पढे जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण ने जवाब मे अंकित किया कि–

1. कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 अस्वीकार है और विपक्षीगण/प्रतिवादीगण उक्त कलम में वर्णित तथ्य को अपने सबुत साक्ष्य एवं दस्तावेजो से न्यायालय में साबित करें क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण/वादीगण एवं विपक्षीगण/प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसका प्रार्थीगण/वादीगण अपने बाप–दादाओं के समय से काबिज काश्त है और मौके पर हिस्से का बंटवाडा कर मौके पर काश्त करते आ रहे है ओर विपक्षीगण/ प्रतिवादीगण जबरन प्रार्थीगण/वादीगण के हिस्से की जमीन पर अवैध रूप से मकान निर्माण करना चाहता है और प्रार्थीगण/वादीगण के हिस्से की जमीन को हडपना चाहता है जिस बाबत् प्रार्थीगण/वादीगण ने माननीय न्यायालय में उक्त वाद पेश किया है और जिसमें प्रार्थीगण/वादीगण को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और प्रार्थीगण/वादीगण ने अपने वाद पत्र के साथ तमाम दस्तावेजी सबुत एवं गांव के मौतबीरो के शपथ पत्र एवं निर्माणाधीन मकान के फोटो और प्रार्थीगण/वादीगण एवं विपक्षीगण/ प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि की जमाबंदीया माननीय न्यायालय में पेश कर रखी है, जिस आधार पर माननीय न्यायालय से विपक्षीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 09–11–2022 को मौके की मुल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश किया गया, जिस कारण मौके पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मौके की यथास्थिति कायम है और विपक्षीगण/प्रतिवादीगण मोगा के पिता कचरा पिता गोविन्द जी निवासी भीमपुर बरबडी स्वयं ने बही में दिनांक 07–02–1984 को लिखा है कि उक्त वादगस्त जमीन हमारे बाप दादाओं की है जिस पर मेरे दोनों भाई नगजी एवं खेमा भी हकदार है एवं उक्त जमीन का नाम रुणवाला जिसके खाता सं. 5 आराजी नम्बर 489 है और उक्त पुराने

कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

आराजी नम्बर के नये आराजी नम्बर 25 रकबा 2.10 हैक्टेयर है और उक्त कृषि भूमि पर विगत 50 वर्षों से प्रार्थीगण/वादीगण काबिज काश्त है।

2. कि यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अस्वीकार है क्योंकि वाद पत्र के साथ खानदान का सजरा भी अंकित कर रखा है लेकिन उक्त कृषि भूमि गोवना जी ने अपने पुत्र कचरा के नाम से एलोट करा दी थी जिस कारण राजस्व रिकार्ड में एकमात्र कचरा के नाम से एलोट हो गई थी लेकिन मौके पर उक्त कृषि भूमि का कब्जा काश्त प्रार्थीगणध्वादीगण के दादाजी गोवना जी का था ओर उन्होने तीनों भाईयों को बराबर बराबर मौके पर बंटवाडा कर दी थी लेकिन गोवना जी एवं उनके तीनों पुत्र नगजी, कचरा, खेमा ने अपने पुरे जीवनकाल में उक्त जीवन बाबत् कोई उजर एतराज नहीं किया और तीनों भाई निरन्तर काश्त करते आ रहे थे लेकिन कचरा की मृत्यु होने के कारण राजस्व रिकार्ड में एकमात्र नामान्तरण मोगा के नाम खुल गया और मोगा उक्त पुरी जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहता हे जिस कारण प्रार्थीगण/वादीगण को अपने हिस्से से बेदखल करना चाहता है और मोगा के भाई खेमा के कोई पुत्र सन्तान नही है मात्र पुत्रीयां है, जिनका विवाह हो चुका है और उनकी पुत्रीयां यानिकि प्रार्थीगण/वादीगण गोकल और गोमती एवं पत्नी गंगा को बेदखल करना चाहते है, और उनके हिस्से पर जबरन मकान निर्माण कर कब्जा साबित करना चाहते है और विपक्षीगण/प्रतिवादीगण मोगा के पिता कचराजी ने बही में भी लिखकर दिया था कि उक्त कृषि भूमि में तीनों भाईयों का बराबर बराबर हिस्सा रहेगा और उनके उक्त बही में अंगुठा निशानी भी है और उक्त लिखतम दिनांक 07–02–1984 की कर रखी है लेकिन विपक्षी/प्रतिवादी मोगा येनकेन प्रकारेण उक्त जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहता है और माननीय न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश के पश्चात् विपक्षीगण/प्रतिवादीगण ने मोके पर जबरन मकान निर्माण करने की कोशिश की तो प्रार्थीगण/वादीगण गोकल ने पुलिस थाना झल्लारा में दिनांक 14–03–2023 एंव दिनांक 17–04–2023 को उक्त मकान निर्माण यथास्थिति के आधार पर रूकवाने के लिये पेश किया तो मकान काम भी पुलिस द्वारा रूकवाया गया और वादग्रस्त जमीन पर तीनों भाईयो का शामलाती कुआं भी खोदा हुआ है।

3. कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अस्वीकार है क्योंकि माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण/वादीगण ने वाद खातेदारी हक की घोषणा कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का सथ अस्थाई निषेधाज्ञा के पेश किया जिसका जवाब माननीय न्यायालय में विपक्षीगण/प्रतिवादीगण की ओर से मुल वाद एवं प्रार्थना पत्र में पेश हो चुका है और उक्त वाद पत्र में तनकी भी कायम हो चुकी है और उक्त वाद प्रार्थीगण/वादीगण की साक्ष्य बाबत् बरोज पेशी नियत है और माननीय न्यायालय में विपक्षी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की बहस होकर माननीय न्यायालय में दिनांक 09–11–2022 को प्रार्थीगण/वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेशित किया गया कि दिनांक 31–08–2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाकर मौझा गांव भीमपुर बरबडी पटवार हल्का झल्लारा पुरानी तहसील सलुम्बर हाल तहसील झल्लारा की जमाबंदी संवत 2075–2078 की आराजी नम्बर 25 रकबा 2.10 हेक्टर विवादित कृषि भूमि के मौके की यथास्थिति मुल दावे के निस्तारण तक बनाए रखने हेतु उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है ओर बाद में माननीय न्यायालय में विपक्षीगण/प्रतिवादीगण ने आदेश 9 नियम 13 का भी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण/वादीगण के विरूद्ध पेश किया जो माननीय न्यायालय द्वारा सव्यय खारिज फरमाया गया और कॉलम संख्या 3 में वर्णित तथ्य को प्रार्थीगण ६ वादीगण अपने दस्तावेजो से साबित करें।

4. कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 अस्वीकार है क्योंकि माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता तो माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद दर्ज नही होता और माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता और विपक्षीगण/प्रतिवादीगण को प्रारम्भिक स्तर पर ही वाद कारण का

सहायक कलक्टर सलू.
जिला सलूम्बर

उजर एतराज करना चाहिये था लेकिन प्रार्थीगण/वादीगण ने अपने वाद पत्र के साथ तमाम दस्तावेजी सबुत पेश किये है जिनके आधार पर वादकारण उत्पन्न होता है और प्रार्थीगण/वादीगण महिला एवं बुजुर्ग है जो अनपढ है जिनहें राजस्व रिकार्ड का भी सही ज्ञान नहीं है और मौके पर विपक्षीगण/प्रतिवादीगण द्वारा मकान निर्माण करने के कारण से उक्त वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

5. कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 अस्वीकार है क्योंकि विपक्षीगण/प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र उचित नही होने के कारण खारिज योग्य है क्योंकि उक्त वाद में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हो और माननीय न्यायालय में साक्ष्य के उपरान्त ही यह साबित होगा कि वादग्रस्त जमीन पर किसका कब्जा है और कौन काश्त कर रहा है और राजस्व रिकार्ड में किसके खाते है और वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखतम बही के अनुसार कौन कौन हकदार है जिस कारण इस स्तर पर यह उचित नहीं होगा कि वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के कारण दावा नहीं चल सके और प्रतिवादीगण/विपक्षीगण बार बार न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त वाद पत्र की सुनवाई में जानबुझकर देरी करना चाहता है जिससे प्रार्थीगण/वादीगण न्याय से वंचित हो सके।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय में विपक्षीगण मोगा पिता कचरा डांगी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. बिना किसी विधिक आधार के होने के कारण सव्यय खारिज फरमावे और बेवजह न्यायालय की कार्यवाही में देरी करने के कारण उचित मुआवजा विपक्षीगण/प्रतिवादीगण को प्रार्थी से दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं विपक्षीगण वादीगण ने बहस मे अपने जवाब मे अंकित तथ्यों का दोहराया। बहस मनन की गई।

बहस मनन की गई। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने अपने वादपत्र कि कलम संख्या 2 व 3 तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र कि कलम संख्या 1 से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता कचरा पिता गोवना डांगी के नाम से दर्ज है और मृत्यु के उपरान्त उनका एकमात्र वारिस पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 मोगा के नाम दर्ज है। वादपत्र की कलम संख्या 2 मे प्रस्तुत सजरे अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 कचरा पिता गोवना के भाई के पुत्र है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पिता कचरा को आवंटित भूमि पर अपने हिस्से की घोषणा का वाद पेश किया है जो उचित प्रतीत नही होता है। अतः कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। यदि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को हुए आवंटन संबंधित कोई आपत्ति है तो वह सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर राहत प्राप्त कर सकता है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र ओदश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

—::आदेश::—

अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ओदश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 11/06/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर (राज.)

(परमजीत आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर
जिला—सलूम्बर